Panchayati Raj

बिहार सरकार

# कार्यालय, जिला परिषद, दरभंगा

फोन नं0-09031071442, 9431836878 Email - darbhangazilaparishad@gmail.com

## जिला परिषद, दरभंगा के कार्यालय में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन के पद पर सेवा निवृत कर्मी का संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन

पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–10 प0 / स्था0–04–02 / 2022–2325 / पं0रा0 दिनांक–12.03.2024 के आलोक में कार्यालय जिला परिषद, दरभंगा के अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/जिला परिषद/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवा निवृत कर्मियों से सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अमीन पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवदेन पत्र आमंत्रित की जाती है।

| क्र0 | पदनाम | रिक्ति | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक अभियंता | 04 | गैर आरक्षित –2<br>अत्यंत पिछड़ा वर्ग –1<br>अनुसूचित जाति –1 |
| 2 | कनीय अभियंता | 02 | गैर आरक्षित –1<br>अनुसूचित जाति –1 |
| 3 | अमीन | 02 | गैर आरक्षित –1<br>अत्यंत पिछड़ा वर्ग –1 |

आवेदन पत्र दिनांक– 15.12.2024 तक कार्यालय जिला परिषद, दरभंगा में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक से ही प्राप्त किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवको का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमती से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्ति सेवको का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वो के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवश्य समर्पित करना होगा साथ ही सभी कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
6. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगी।
7. नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा, जिसमें नियम एवं शर्तें रहेगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।
9. यह नियुक्ति बिहार जिला परिषद (सेवाशर्त) नियमावली 2023 के आलोक में जिला परिषद में नियमित कर्मियों की नियुक्ति होने तक लागु रहेगा। नियमित नियुक्ति होने पर संविदा पर नियोजित कर्मी का सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. जिला परिषद, दरभंगा से सेवानिवृत आवेदक इस पद के लिए अमान्य होंगे।
11. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0 / –

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, दरभंगा।

Panchayati Raj

बिहार सरकार

# कार्यालय, जिला परिषद, दरभंगा

फोन नं0–09031071442, 9431836878 Email - darbhangazilaparishad@gmail.com

ज्ञापांक ....424.. / जि0प0, दिनांक ..25.. / ...11../ 2024

प्रतिलिपि :– NIC, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25/11/24

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, दरभंगा।

25/11/2024